कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री शिव शक्ति स्टोन क्रेशर, ग्राम-महमूदपुर नागली, पोस्ट-रायपुर, तहसील-बेहट, सहारनपुर ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**026 / 15, 13.08.2015**
प्रार्थी की ओर से	**श्री राजकुमार, अधिकृत प्रतिनिधि ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री शिव शक्ति स्टोर क्रेशर, ग्राम-महमूदपुर नागली, पोस्ट-रायपुर, तहसील-बेहट, सहारनपुर द्वारा दिनांक 13.08.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

to clear rate of tax on Stone boulder, raw material item of stone crusher unit, to crush into Grits and Dust.

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री राजकुमार, अधिकृत प्रतिनिधि फर्म उपस्थित हुए । उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया कि विज्ञप्ति संख्या-KA.NI-2-421 / XI-9 (1) / 08-UP ACT-5-2008-ORDER (71)-2011, DATED 31.03.2011 से STONE BALLAST 4% + 1% अतिरिक्त कर की दर से विज्ञापित है । कहा गया कि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा STONE BOULDER को अवर्गीकृत वस्तु की भाँति निर्धारित करते हुए 12.5% + अतिरिक्त कर की दर निर्धारित किया जा रहा है । कहा गया कि STONE BALLAST एवं STONE BOULDER उनके अनुसार एक ही वस्तु है ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन सहारनपुर के पत्र संख्या-1580, दिनांक 22.09.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सहारनपुर सम्भाग-ए के पत्र संख्या-1235, दिनांक 18.09.2015 एवं डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-5, सहारनपुर के पत्र संख्या-366, दिनांक 15.09.2015 द्वारा प्रेषित आख्या पर सहमति व्यक्त की गयी है । डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-5, सहारनपुर के अनुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की एन्ट्री संख्या-109 यथा संशोधित दिनांक 30.03.2011 में stone boulder शब्द नहीं दिया गया है, अपितु stone ballast है । कहा गया कि stone ballast एवं stone boulder अलग-अलग वस्तुएं हैं । Stone ballast क्रशिंग या तोड़कर बनाया गया उत्पाद है तथा boulder इस उत्पाद का रॉ मैटेरियल है । उपरोक्त एन्ट्री में stone boulder का उल्लेख न होने के कारण उक्त वस्तु अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर देय है । रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया कि माननीय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा धारा-59 के पूर्व निर्णय में भी बोल्डर पर निर्णय दिया गया है, जिसमें बोल्डर पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता निर्धारित की गयी है । कहा गया कि व्यापारी का वर्ष 2011-12 का अन्तिम कर निर्धारण आदेश एकपक्षीय रूप से दिनांक 24.04.2015 को पारित

.....2

किया गया है तथा बोल्डर पर 12.5% VAT + अतिरिक्त कर की दर से कर निर्धारित किया गया है। अतएव धारा-59 (4) के प्राविधानों के अनुसार उक्त व्यापारी का प्रार्थना-पत्र धारा-59 के तहत ग्राह्य नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि माननीय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र सर्वश्री नरेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, 84, सिविल लाइन झाँसी, प्रार्थना-पत्र संख्या-34 / 08 के मामले में निर्णय दिनांक 29.02.2008 द्वारा बोल्डर पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% करदेयता निर्धारित की गयी है।

STONE BALLAST का तात्पर्य ऑक्सफोर्ड इंग्लिश-हिन्दी डिक्शेनरी के अनुसार रेलवे लाइन या सड़क पर डाली गयी गिट्टी, कंकड़ व रोड़ी है, जबकि STONE BOULDER का तात्पर्य बड़ा पत्थर जो मौसम या वर्षा से लगभग गोल हो गया हो, शिलाखण्ड है। इस प्रकार स्पष्ट है कि STONE BOULDER एक प्राकृतिक शिलाखण्ड है जो विज्ञप्ति संख्या-KA.NI-2-421 / XI-9 (1) / 08-UP ACT-5-2008-ORDER (71)-2011, DATED 31.03.2011 से आच्छादित नहीं है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी का वर्ष 2011-12 का अन्तिम कर निर्धारण आदेश एकपक्षीय रूप से दिनांक 24.04.2015 को पारित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के वाद में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधान समान हैं। धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर सेल्स टैक्स, यू0पी0 बनाम राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद विवादित करदेयता के सम्बन्ध में धारा-35 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। चूँकि प्रश्नगत बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा कर विवरणी (रूप-पत्र) दाखिल की गयी है। अत: प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन होना माना जायेगा, तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के निम्नलिखित प्राविधान हैं :-

(1) If any question arises, otherwise than in a **proceedings pending** before a Court or before an authority under this Act, whether, for the purposes of this Act-

(a) any person or association of persons, society, club, firm, company, corporation, undertaking or Government Department is a dealer; or

(b) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods within the meaning of that term; or

(c) any transaction is a sale or purchase and, if so, the sale or purchase price, as the case may be,

....3

therefor; or

(d) any particular dealer is required to obtain registration; or

(e) any tax is payable in respect of any particular sale or purchase and, if so, the rate thereof, के दृष्टिगत चूँकि प्रार्थी पंजीकृत हैं, तथा संगत वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल किया गया है। अत: उपरोक्त विधिक प्राविधान एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत बिन्दु पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि से बाहर होने के कारण ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 23 अक्टूबर, 2015

ह0 / 23.10.2015

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।